डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): सभापति महोदया, हर दल अपने घोषणा-पत्र में एस.सी. एस.टी. और ओ.बी.सी. की बहबूदी के लिए और उनके बैकलॉग को भरने की घोषणा करता है और विशेष भर्ती अभियान भी चलाने की घोषणा करता है, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले एन.सी.टी. दिल्ली ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों में एस.टी. के प्रवेश का जो 7.5 परसेंट रिजर्वेशन था, सुप्रीम कोर्ट की डबल बैंच के निर्णय की आड़ में उसे खत्म कर दिया, जबकि उसके पहले सुप्रीम कोर्ट के तीन जजेज़ का फैसला था कि जो माइग्रेंट ट्राइबल्स हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा, लाभ दिल्ली में दिया जा सकता है। अभी हाल ही में सैण्ट्रल गवर्नमेंट के DoPT ने एक सर्कुलर जारी किया है कि एस.सी. एस.टी. की 39,728 पोस्ट और ओ.बी.सी. की 28,671 पोस्टों को लार्जर पब्लिक इंटरैस्ट में डीरिजर्व कर दिया जाये। अब यह समझ में नहीं आता कि इसमें लार्जर पब्लिक इंटरैस्ट क्या है, जबकि कानूनन ऐसा नहीं किया जा सकता और ऐसा करना प्रतिबन्धित है। सभी विभागों को DoPT ने पत्र लिखकर कहा है कि एक महीने में सूचना दें, ताकि डीरिजर्व करने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। अगर किसी कारण से डीरिजर्व करने की सूचना विभाग को नहीं दी गयी तो यह मान लिया जायेगा कि ये पोस्ट डीरिजर्व हैं। इस ढंग से एस.सी. एस.टी. और ओ.बी.सी. की जो पोस्टें हैं, जो एस.सी. एस.टी. की 39,728 और ओ.बी.सी. की 28,671 पोस्ट हैं, उनको जो डीरिजर्व किया जा रहा है, वह उनके अधिकारों पर कुठाराघात है। उनको डीरिजर्व नहीं किया जाये और उनके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाकर एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के पदों को भरा जाये। ऐसा अवैधानिक कार्य नहीं होना चाहिए। मैं सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): Madam, I associate with this.